(ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में नेत्र विज्ञान सेवाओं की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं। नेत्र शिविर आयोजित करने के लिए जिला स्तर पर मोबाइल यूनिटें प्रदान की जाती हैं।

दृष्टिहीनता के निवारक उपायों के रूप में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विटामिन "ए" का घोल, स्कूल नेत्र स्वास्थ्य परिचर्या और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है।

C.G.H.S. dispensaries without Telephone Facility

2430. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of C.G.H.S. dispensaries in Delhi which have not been provided with telephone facility;

(b) whether it is a fact that a number of C.G.H.S. dispensaries in Trans-Yamuna area in Delhi are working without telephone facility since their establishment causing great inconvenience to C.G.H.S. beneficiaries as well as the managements of the dispensaries;

(c) if so, what are the details thereof;

(d) what steps Government have taken or proposed to take to provide telephone facility to these dispensaries; and

(e) by when telephone connections are likely to be provided to these dispensaries ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA) : (a) to (c) Only one C.G.H.S. dispensary at Yamuna Vihar has not been provided with telephone facility.

(d) and (e) The payment for installation of telephone has already been made to Mahanagar Telephone Nigam Limited and they have been requested for early installation.

चिकित्सा पद्धति के अधीन इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की मान्यता

2431. **श्रीमती सरला माहेश्वरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्यत प्राप्ता चिकित्सा पद्धति हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डिग्री, डिप्लोमा देने के लिए कुछ संस्थाओं को अधिकृत किया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है और उनमें अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो अनधिकृत रूप से इस प्रकार की डिग्री-डिप्लोमा दे रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) :

(क) और (ख) इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोमियोपैथी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां नहीं हैं। सरकार द्वारा किसी भी संस्था को इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने तथा किसी संस्था को डिग्री/डिप्लोमा आदि प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करने का मामला न्यायाधीन है।

(ग) चूंकि इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा पद्धति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए इनकी